न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 70/2023

जी.सी.एम.एस. नं.: 2023/110

1. सीयाराम पुत्र दलेलराम जाति मेघवाल निवासी गांव कूंपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. अंगूरी देवी पुत्री हेतराम पत्नी पृथ्वीराज नंदा जाति धानक निवासी नजदीक सिमरन किरयाना स्टोर, रेल्वे लाईन के पास ढिल्लो कॉलोनी हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.
2. शांतिदेवी उर्फ गुड्डी पुत्री हेतराम पत्नी देवीलाल जाति धानक निवासी गांव किलिंयावाली, वीपीओ किलियावाली, नजदीक बस अड्डा, कुटिया के सामने तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व विजयनगर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री प्रेम सिंह सैनी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 2**
3. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि चक 12 एएस तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 41 प.नं. 213/470 कि.नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 कुल 6.325है. कमाण्ड खातेदारी मय खाला कृषि भूमि प्रार्थी, अप्र[illegible]-1 ता 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार[illegible] 1581/6325 यानि 1.581 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी हिस्सा है। [illegible] कृषि भूमि को वाद [illegible] आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि च[illegible] ए. एस तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं–41 पत्थर सं–213/470 का किला नं–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी मय खाला कृषि भूमि अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

सं–1 वा 2 के पिता हेतराम के नाम से दर्ज थी। हेतराम का देहांत होने के बाद उक्त रकबा हेतराम के वारिसान अप्रार्थीगण सं–1 वा 2, ओमप्रकाश के नाम से दर्ज हुई तथा ओमप्रकाश ने अपना हिस्सा 1581/6325 यानि 1.581 हैक्टर रकबा साहबकौर को बेचान कर दिया तत्पश्चात साहबकौर ने उक्त रकबा प्रार्थी को जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 18–6–2013 को बेचान कर दिया तथा बैयनामा के आधार पर 1581&6325 हिस्सा यानि 1.581 हैक्टर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि सयुंक्त कब्जा काश्त मे होने के कारण साहबकौर व अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के मध्य अक्सर सिंचाई आदि को लेकर वाद विवाद होने लगा जिस पर साहबकौर व अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 ने उक्त विवाद से बचने के लिए आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर लिया था जिसके अनुसार किला नं–5 का 5 बिस्वा, किला नं–16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल 6 बीघा 5 बिस्वा रकबा साहबकौर के हिस्सा में आया तथा शेष रकबा पर अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा साहबकौर द्वारा किला नं–5 का 5 बिस्वा, किला नं–16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल 6 बीघा 5 बिस्वा रकबा का कब्जा प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया था उसी अनुसार ही प्रार्थी उक्त रकबा पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 घरू बंटवारा अनुसार अपने–2 हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी ने अपने हिस्सा की भूमि मे समुचित सुधार, विकास किया है। लेकिन उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मुस्तरका खाता मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के मध्य अक्सर मालकाना, आबयाना जमा करवाने को लेकर तथा बट, डोली को लेकर विवाद पैदा हो जाता है जिससे आपस मे विवाद बढता है। प्रार्थी विवाद व झगड़े से बचने के लिए आपसी सहमति से किऐ घरू बंटवारा अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा करवाना चाहता है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 से निवेदन किया कि कृषि भूमि मुस्तरका खाता में होने के कारण अक्सर विवाद पैदा हो जाता है इसलिए स्थाई समाधान हेतु घरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना–2 हिस्सा अनुसार किला नम्बर दर्ज करवा लिऐ जाएँ लेकिन अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 टाल मटोल करते रहे। दिनांक 23–6–2023 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 से सम्पर्क कर वादग्रस्त कृषि भूमि का घरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 ने ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा अप्रार्थीगण सं–1 या 2 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वह किसी बंटवारा को नहीं मानते तथा वह वादग्रस्त कृषि भूमि मे से अच्छी किस्म की भूमि को विशेष किलाजात में दर्शा कर शीघ्र ही रहन, बैय कर हस्तांतरित कर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

देगें। अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाऐ बिना ही अच्छी किस्म की भूमि विशेष किलाजात दर्शा कर को अन्यत्र रहन, वैय, हस्तांतरित करने की फिराक में है। यदि अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 अपने इस अवैध आश्य मे कामयाब हो गऐ तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा की ऐवज मे नही किया जा सकेगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के खिलाफ अरथाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे वह मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 12 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं–41 पत्थर सं–213/470 का किला नं–1/1, 1/2, 2/1, 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 6 ता 25 कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी मय खाला को खाता विभाजन से पूर्व किसी भी प्रकार से रहन, वैय या अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द करने से बाज व ममनु रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 1 से 2 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई बाहमी बंटवारा कभी भी नहीं हुआ है और न ही वर्णित किलाजात का कब्जा सहमति से कभी प्रार्थी को सुपुर्द ही किये गये है प्रार्थी बेईमानीपूर्वक आशय से सुधरी हुई भूमि पर काबिज होना चाहता है इसलिए विशिष्ट किलाजात में अपने कब्जा काश्त में होना मिथ्या अकिंत किया गया है भूमि संयुक्त खाता की है इसलिए भूमि का विधिक विभाजन अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि किस्म अनुसार खाला, रास्ता आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए दर्ज हिस्साअनुसार किया जाना ही न्यायोचित है जिसके लिए अप्रार्थीगण के द्वारा इन्कार नहीं किया गया है बल्कि प्रार्थी स्वंय के द्वारा ही इसमें सहयोग नहीं किया गया है व अब सुधरी हुई भूमि पर जबरन काबिज ... किलाजात से यह झूठे तथ्यो पर आधारित वाद व प्रार्थना पत्र ... काबिले खारिजी के है। प्रार्थी के द्वारा कभी भी विभाजन ... अप्रार्थीगण से सम्पर्क नहीं किया है बल्कि स्वंय ही सुधरी हुई भूमि ... जबरन काबिज होना चाहता है इसलिए विधिक विभाजन अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि किस्म अनुसार खाला, रास्ता आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए करवाये जाने में सहयोग नहीं कर रहा है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

वाद कारण प्राप्त नहीं है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है। अप्रार्थीगण स्वंय के द्वारा ही अपने प्रार्थना पत्र में विशिष्ट सुधरी हुई भूमि पर गलत रूप से अपना कब्जा काश्त होना दर्शाते हुए गलत तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वंय विशिष्ट सुधरी हुई भूमि पर जबरन काबिज होना चाहता है व विशिष्ट किलाजात की भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना दर्शाते हुए उसे विक्रय व अन्य प्रकार से अन्तरित करने की फिराक में है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति, असुविधा नहीं है बल्कि स्वंय प्रार्थीया सुधरी हुई भूमि पर जबरन काबिज होना चाहता है व विशिष्ट किलाजात जो सुधरी हुई भूमि है को अपने कब्जा काश्त में होना बताकर अनवानी वाद पत्र व प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है पर अपना कब्जा होना दर्शाते हुए आगे अन्तरित कर जबरन काबिज होने की फिराक में है ऐसा करने में प्राथी सफल होता है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी न कि प्रार्थी को होगी व स्थग्न आदेश जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि में सुधार हेतु सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने, भूमि सुधार करने से वंचित हो जावेगे इसलिए भी नुकसान हमे होगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी हम अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अकिंत किया है कि प्राथी ने उक्त भूमि साहबकौर से खरीद किया है एंव साहबकौर व अप्रार्थीगण के मध्य बाहमी बंटवारा हुआ था इस प्रकार प्रार्थी के अभिवचनो से साहबकौर एक आवश्यक पक्षकार है किन्तु प्रार्थी के द्वारा साहबकौर को अनवानी प्रार्थना पत्र व वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है प्रार्थना पत्र मिस जोईन्डर आफ पार्टीज से ग्रसित होने के कारण काबिले खारिजी के है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई वाद कारण प्राप्त नहीं होने से काबिले खारिजी के है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष अपनी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। वकील प्रार्थीगण कथन किया कि प्रार्थी विवादित [illegible] खातेदार है। जो प्रार्थी को जरिए बैयनामा प्राप्त हुई [illegible] द्वारा विशिष्ट किलाजात का कब्जा प्रार्थी को सुपु[illegible] में शपथ पत्र भी दिया गया था। प्रार्थी उसी अनुसार काबिज है तथा भूमि [illegible] विभाजन करवाने का अधिकारी है। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण कथन किया कि प्रार्थी द्वारा भूमि का बंटवारा होने संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किया

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

गया है। ना ही भूमि का पूर्व में कोई बंटवारा हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किलाजात साहिब कौर से क्रय किया जाना अंकित किया है लेकिन विक्रेता को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी विवादित भूमि में बतौर सहखातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के द्वारा बैयनामा साहब कौर बहक सीयाराम दिनांक 18.06.2013 व शपथ पत्र साहब कौर दिनांक 18.04.2013 की प्रति पेश की है, शपथ पत्र में साहब कौर के द्वारा कि.नं. 5 में पांच बिस्वा कि.नं. 16,17,18,23,24,25 में प्रार्थी का कब्जा होने का कथन अंकित किया है। हालांकि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विशिष्ट किलाजात पर प्रार्थी के कब्जा होने के तथ्य को अस्वीकार किया गया है लेकिन संयुक्त खाता की भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा होने को अस्वीकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित भूमि संयुक्त खाता में है जिस कारण विधिक विभाजन होने से पूर्व प्रत्येक सहखातेदार का भूमि पर एक समान अधिकार है। प्रार्थी विशिष्ट किलाजात विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं का निर्णय मूल वाद में गुणावगुण पर होना है। परन्तु यदि वाद के विचारण के दौरान भूमि अप्रार्थीगण द्वारा अन्यत्र बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित कर दी जाती है तो वाद विवाद बढ़ने एवं नये पक्षकारों के सृजन हो जाएगा जिससे प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा और मुकदमेबाजी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना संभावित है। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि अप्रा[illegible] वाद पत्र के निस्तारण तक विवादित भूमि चक 12 [illegible] का मुरब्बा नं–41 पत्थर सं–213/470 कि.नं. 1 से 25 की [illegible] हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर